



KRISHI VIGYAN KENDRA, KUMHER-BHARATPUR

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)



Dr. Navab Singh
Senior Scientist & Head

Mob- 91-9414544054

E mail- pc.kvk.kumher@sknau.ac.in

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न कार्यो की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फार्मों/सेवाप्रदाता संस्थाओं/ कृषकों जिनके पास भोजन आपूर्ति लाईसेन्स एवं श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो से दिनांक 26.06.2025 को निर्धारित प्रपत्र में सुबह 11:00 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रु. 500/- कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक द्वारा ही भुगतान कर दिनांक 26.06.2025 को सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 26.06.2025 को सुबह 11:00 बजे तक जमा होंगे। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 26.06.2025 को सुबह 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

| क्र. सं. | कार्य विवरण | अनुमानित राशि (रु) | 2 प्रतिशत धरोहर राशि |
|----------|---|--------------------|----------------------|
| 1 | फार्म पर विभिन्न कृषि से संबंधित एवं अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति कार्य | 550000 | 11000 |
| 2 | केन्द्र के विभिन्न प्रशिक्षणों एवं प्रसार कार्यक्रमों हेतु नाश्ता व भोजन सप्लाई कार्य | 440000 | 8800 |

Navab Singh
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेरको भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 26.06.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 26.06.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
6. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
7. मैसर्स.....।
8. कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
10. कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
11. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
12. फार्म प्रबन्धक, केवीके कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
13. फार्म प्रभारी, केवीके के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
14. रक्षित फाइल

Navab Singh
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष



KRISHI VIGYAN KENDRA, KUMHER-BHARATPUR

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)



Dr. Navab Singh
Senior Scientist & Head

Mob- 91-9414544054
E mail- pc.kvk.kumher@sknau.ac.in

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति खुली निविदा

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से खुली निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

| क. सं. | विवरण | अनुमानित राशि (लाखों में) | बोली प्रतिभूति (Bid Security) | निविदा शुल्क | निविदा बेचने की तिथि व समय | निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय |
|--------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर - भरतपुर पर विभिन्न कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा | 5.50 लाख | 11000/- | 500/- | 26.06.2025 समय सुबह 10:30 बजे तक | 26.06.2025 सुबह 11:00 बजे तक | 26.06.2025 सुबह 11:30 बजे |

निविदा प्रपत्र प्रथम


कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

| | |
|--|--|
| निविदा क्रमांक | No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352 Dated: 13.06.2025 |
| बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एव समय | दिनांक 26.06.2025 सुबह 11:00 बजे तक |
| निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के D.D./ B.C. : | वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके कुम्हेर (भरतपुर) (Chief Scientist Cum Head, KVK, Kumher) |

निविदा प्रपत्र तथा शुल्क बोली प्रतिभूति (Bid Security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में दिनांक 26.06.2025 समय सुबह 11:00 बजे तक भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

कार्य की अनुमानित लागत - 5.50 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
निविदा जमा कराने की
अन्तिम तिथि - 26.06.2025
समय सुबह 11:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क - 500 रुपय


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि से संबंधित

- अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा
1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम:.....
 2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. मोबाइल व ई-मेल सहित:-.....
 3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल.....

जिसको संबोधित किया गया - वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)
 निविदा सूचना संदर्भ **No. F./OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352** Dated: **13.06.2025** के तहत बोली प्रतिभूति राशि 11000/- रुपये एवं निविदा शुल्क राशि 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में देय संलग्न करना होगा। हम वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्य **No. F./OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352** Dated: **13.06.2025** में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

4. सभी कार्यों के लिए केन्द्र की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
5. केन्द्र के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे RTPP एक्ट एवं नियम के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
6. निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक..... राशि..... भौतिक रूप से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए निविदा दिनांक: 26.06.2025 सुबह 11:00 बजे तक कार्यालय में जमा कराई जा सकती है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
8. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।
9. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायलय द्वारा दण्डित नही होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
10. निविदा में संलग्न दस्तावेजात पर क्र.सं. अंकित करनी होगी।
11. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। (प्रपत्र 'य')
13. निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. बोलीदाता/संवेदक विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

| क्र.सं. | विवरण | रजि.सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | संलग्न क्रमांक |
|---------|--|---------|------|----------------|----------------|
| 1 | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (केवल विवरण विद्यालय हेतु जारी प्रमाण पत्र) | | | | |
| 2 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | | | | |
| 3 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | | | | |
| 4 | वस्तु एवं जीएसटी (GST) | | | | |
| 5 | आयकर (पैन नम्बर) | | | | |
| 6 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत | | | | |

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

M. J. S. S.
 Senior Scientist & Head
 Krishi Vigyan Kendra
 Kumher Bharatpur

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'
कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा


परिचय :- कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर), भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित एवं प्रशासनिक रूप से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य कृषि पाठन, अनुसंधान व प्रसार का कार्य करना है। केन्द्र के फार्मों एवं केन्द्र परिसर पर प्रायोगिक एवं अन्य कार्य सम्पन्न करवाने हैं, केन्द्र की समस्त इकाईयों द्वारा वर्ष भर में विभिन्न कार्यों को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी।

| कार्य का नाम |
|--|
| कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर), पर कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा |

उपयुक्त कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें निविदा में वर्णित श्रमिकों की आपूर्ति का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.sknu.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि : रुपये 500.00/- व बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 11000/- जमा करनी होगी। दिनांक 26.06.2025 सुबह 11:00 बजे तक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता:-

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसायटी का विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का औसत वार्षिक टर्न ऑवर हेतु आदि सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN के अनिवार्य रूप से प्रपत्र 'स' संलग्न करें।
3. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है (कम से कम 50 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है)। यदि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत उक्त अधिनियम, 1970 का पंजीकरण नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र कार्यादेश मिलने पर पंजीकरण कराना होगा, प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/ उपक्रम में श्रमिक आपूर्ति का कार्यानुभव विगत 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी हुआ, संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, ई-मेल आईडी सहित होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
7. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
9. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
10. यह ठेका दिनांक 31.03.2026 तक ही मान्य होगा। जिसका कार्यादेश दिनांक 01.07.2025 को कमेटी द्वारा अनुमोदन उपरांत जारी होगा।
11. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रु. 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व 3 प्रतिशत अमानत राशि 16500/- जमा करवानी होगी।


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur


B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना।

बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 11000/- जमा करनी होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500.00/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में देय एवं भौतिक रूप से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) में प्रस्तुत कर दिया है।

C. श्रमिक आपूर्ति एवं अन्य कार्य के लिए शर्तें

1. अगर ठेकेदार अपना अनुबंध निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत पुरुष श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा जितने कम पुरुष श्रमिक होंगे उसके अनुसार रु. 40/- प्रति पुरुष श्रमिक के हिसाब से सस्ती (पैनेल्टी) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिक के देय भुगतान में से इस शास्ती (पैनेल्टी) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
3. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दें।
4. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/- रु प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्ता संस्थान में शास्ती (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा।
5. श्रमिक जिस कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे उसी कार्यालय को बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
6. सभी विभागों में श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व विभाग में लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची संबंधित कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मौहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 20 वर्ष से कम व 60 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी भी विभागीय स्टाफ को किसी भी कार्यरत श्रमिक की कार्यशैली एवं आचरण आदि पर संदेह होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।
7. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
8. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) को ठेकेदार से होगा।
9. किसी भी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9 बजे तक ठेकेदार को इकाई प्रभारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
10. ठेकेदार कार्यालय कार्य एवं अन्य कार्यों की महत्त्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करायेगा तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) अपने स्तर पर श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

11. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यलय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि **RTPPR 2012, RTPPR 2013, GF & AR** में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
12. केन्द्र द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता है।
13. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र भरतपुर को होगा।
14. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा अनुमोदन के लिए बाध्य नहीं होगा।
15. न्यूनतम दर से साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
16. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो पिछले तीन वर्षों के औसत टर्नओवर एवं पिछले कार्य को देखते हुए के आधार पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) एवं माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
17. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में केन्द्र में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक केन्द्र के सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा सम्बंधित विभाग पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।
18. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दोगुना तक श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि केन्द्र उसकी अमानत राशि में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
19. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरन्त श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि कार्य की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
20. अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।
21. कोरोना महामारी (कोविड-19) के मध्येनजर, श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के साथ टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर एवं आवश्यक साधन/ सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
22. कोरोना महामारी (कोविड-19) के समबन्ध में भारत/राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. केन्द्र द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मों में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।


 Senior Scientist & Head
 Krishi Vigyan Kendra
 Kumher Bharatpur

24. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)/ वित्त/ एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अंतर्गत निम्न शर्तें भी जोड़ी जा रही हैं:-


- i. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
- iii. संवेदक निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में NEFT/ RTGS/ Online द्वारा ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक में जमा कराई गई राशि का विवरण समबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- iv. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व समबंधित संवेदक का होगा।
- v. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।
- vi. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी. एफ व ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ व ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- vii. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर Display Boards लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline Number एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ व ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- ix. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं जीएसटी का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- x. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि का पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- xi. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उचित प्राकर से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- xii. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- xiii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xiv. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
- xv. यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मदेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- xvi. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
- xvii. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) को होगा।
- xviii. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में निविदादाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

दिनांक

स्थान

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय स्पष्ट नाम
मय फर्म की रबड मोहर


Senior Scientist & Head
Kendriya Kendra
Kumher, Bharatpur

i. निविदा का खोला जाना-

दिनांक 26.06.2025 को सुबह 11:00 बजे तक प्राप्त तथा निविदा प्रपत्रों को दिनांक 26.06.2025 सुबह 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि-

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 3 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (**Performance Security**) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-ऑर्डर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के नाम जो भरतपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेंगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/ आंशिक जब्त की जा सकेगी।

iii. उत्तरदायित्व-

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/ अधिनियम/ उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/ व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सकें।

iv. निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने की शक्तियां-

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक/ रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार कर या उनके पत्र व्यवहार का जबाब दिया जाए। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड सिक्क्यूरिटी, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/ बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

v. अनुमानित राशि का आंकलन :-

प्रपत्र 'अ' में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 5.50 लाख है। केन्द्र द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि-

दर संविदा की अवधि एक वर्ष अथवा **31.03.2026** के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।

vii. अनुबन्ध पत्र-

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप से अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करना है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की **Risk and Cost** पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपॉवर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/ कमी है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/ घटाई जा सकती हैं।

viii. भुगतान की शर्तें-

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को जिस कार्यालय को श्रमिक उपलब्ध करवाये गये उसी कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। उक्त सेवाओं के बदले फार्म प्रबंधक/ प्रभारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक बाधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को **RTGS/NEFT/ बैंक** द्वारा किया जाएगा।

ix. भुगतान की जिम्मेदारी—

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थः—

निविदा की किसी भी शर्तों/ शर्तों के संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कार्यादेश का निरस्तीकरण—

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/ आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति—

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि यह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पढ/ समझ ली है तथा उसे/ उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/ राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/ लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती केन्द्र द्वारा की जाएगी।

xiii. निविदा की अन्य शर्तें—

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-2 के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

xv. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और मूल्य में सुधार किया जायेगा, में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होंगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

xvi. सत्यनिष्ठा संहिता— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, —

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि का प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय के दुरुपयोग नहीं करेगा।

- (ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी पड़पीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया को किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो,
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था के किसी कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उप तक सीमित नहीं हैं:-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपाहर की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हों, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु दन तक सीमित नहीं हैं यदि,-
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

- xviii. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण –** प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।
1. अपील – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय,

कार्यवाही से लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाविहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप में (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसको तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (3) अधिकारी, जिसका समक्ष उप-धारा (1) के अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के अन्दर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोल लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के अन्दर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय दाखिल कर सकेगा।
- (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।
परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएं।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएं।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का द्वारा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

Nov-15
Senior Lecturer & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

1. अपील का प्रारूप -

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - य) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस -

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जावेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया -


- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों को अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

xix. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र, भरतपुर (राजस्थान) होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैंने/ हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/ हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूंगा/ रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म गैसर्स.....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की संलग्न है।

| क्र.सं | वित्तीय वर्ष | टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में) |
|--------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2021-22 | |
| 2 | 2022-23 | |
| 3 | 2023-24 | |
| | कुल टर्न ओवर | |
| | औसत वार्षिक टर्न ओवर | |

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष
सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN-

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं सील

अंकेक्षक/ सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या


Nav-10
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....


 (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place Date

Appellant's Signature


 Senior Scientist & Head
 Krishi Vigyan Kendra
 Kumher Bharatpur

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352


Dated: 13.06.2025

श्रमिक आपूर्ति हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

| क्र.सं. | आवश्यक दस्तावेजात का विवरण | संलग्न सूची क्रमांक |
|---------|---|---------------------|
| 1. | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 जो कि श्री कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय जोबनेर के नाम बना हो या आवश्यक शपथ पत्र | |
| 2. | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | |
| 3. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | |
| 4. | वस्तु कर एवं जीएसटी (GST) | |
| 5. | आयकर (पैन कार्ड) | |
| 6. | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत | |
| 7. | वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय यू.डी.आई.एन. द्वारा जारी (वित्तीय वर्ष - 2021-22, 2022-23 व 2023-24) प्रपत्र स | |
| 8. | कार्य अनुभव/संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र | |
| 9. | ब्लेक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र | |
| 10. | निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/- का डी.डी.संलग्न | |
| 11. | अमानत राशि रुपये 11000/- का डी.डी. संलग्न | |
| 12. | शर्तों पर सहमति पत्र रुपये 100 के नॉन ब्लिंकिंग स्टाम्प पत्र | |

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)
Kumher Bharatpur

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

BOQ Format


प्रपत्र "ब"

| क्र. सं. | कार्य की प्रकृति | श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या | | सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर | EPF दर प्रतिशत 13% | ESI दर प्रतिशत (3.25%) | सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति श्रमिक) | कुल राशि (5+6+7+8) |
|----------|--|---|--|---|--------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित व संख्या | श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर पर | अकुशल श्रमिक | 285 | | | | | |
| 2 | विभिन्न कृषि क्रियाओं के | अर्द्धकुशल श्रमिक | 297 | | | | | |
| 3 | सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं | कुशल श्रमिक | 309 | | | | | |
| 4 | कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा | उच्च कुशल | 359 | | | | | |

निविदादाता के हस्ताक्षर

अति आवश्यक शर्तें :-

1. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
2. प्रतिमाह की गणना 26 दिन के आधार पर की जायेगी।
3. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
4. श्रमिक के ई.एस.आई में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
5. पी.एफ. की जमा पुष्टि श्रमिक के पी.एफ. विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी.एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

6. सफल निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ.और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति मूल कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/ बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरान्त भुगतान योग्य राशि नहीं हो, प्रस्तावित करने पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RTPP Act की धारा 2 (xviii) के अंतर्गत अमान्य होगी।

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

iv. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

v. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1982 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था का प्रस्तुत की जायेगी।


vi. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

vii. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

viii. केन्द्र की मांग अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संवेदक द्वारा अपने फर्म के लेटरहेड पर उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की जानकारी मय आवश्यक श्रमिक पहचान पत्र-आधार कार्ड की फोटो प्रति केन्द्र पर प्रारम्भ में जमा करानी होगी।


नोट:- 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाते है, ऐसी फर्म को Unresponsive माना जायेगा।


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तों/नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत है।

हस्ताक्षर
पूर्ण पता फर्म की मोहर


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kunher Bharatpur



KRISHI VIGYAN KENDRA, KUMHER-BHARATPUR

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER-JAIPUR)



Dr. Navab Singh
Senior Scientist & Head

Mob- 91-9414544054

E mail- pc.kvk.kumher@sknau.ac.in

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर विभिन्न प्रशिक्षणों में भोजन आपूर्ति हेतु खुली निविदा

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु भोजन आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से खुली निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

| क. सं | विवरण | अनुमानित राशि (लाखों में) | बोली प्रतिभूति (Bid Security) | निविदा शुल्क | निविदा बेचने की तिथि व समय | निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय |
|-------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | केन्द्र पर विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु नाश्ता व भोजन सप्लाई कार्य | 440000 | 8800 /- | 500 /- | 26.06.2025 समय सुबह 10:30 बजे तक | 26.06.2025 प्रातः 11:00 बजे तक | 26.06.2025 सुबह 11:30 बजे |

निविदा प्रपत्र द्वितीय


कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु भोजन आपूर्ति निविदा

| | |
|---|--|
| निविदा क्रमांक | No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352 Dated: 13.06.2025 |
| बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय | दिनांक 26.06.2025 सुबह 11:00 बजे तक |
| निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के D.D./ B.C. रु | वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके कुम्हेर (भरतपुर) (Chief Scientist Cum Head, KVK, Kumher) |

निविदा प्रपत्र तथा शुल्क बोली प्रतिभूति (Bid Security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केवीके कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में दिनांक 26.06.2025 समय प्रातः 11:00 बजे तक भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

कार्य की अनुमानित लागत - 4.40 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
निविदा जमा कराने की
अन्तिम तिथि - 26.06.2025
समय प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क - 500 रुपये


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra,
Kumher, Bharatpur

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

तकनीकी निविदा प्रपत्र वर्ष 2025-26 भोजन व्यवस्था हेतु निविदा


No. F./OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष:-

1. बोली प्रतिभूति राशि डी.डी. सं. / बी.सी. सं. दिनांक..... भोजन व्यवस्था हेतु निविदा राशि 8800/-
2. पैन नं. |
3. जी.एस.टी..... |
4. राजस्थान खाद्य मिलावट निरोधक नियम 1957 के तहत धारिक अनुज्ञापत्र की छायाप्रति। जो कि कैंटर्स सप्लाई हेतु जारी किया गया हो।
5. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील ।
6. सफल निविदादाता को 500/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
7. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
8. निविदादाता को भोजन परोसने एवं खाना बनाने के बर्तन आदि की समस्त व्यवस्था स्वयं की होगी एवं खाना कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर पर ही तैयार करना होगा।
9. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा।
10. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिए, संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग के सेम्पल परीक्षण करवाया जा सकता है।
11. निविदा सील बन्द लिफाफे में कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
12. कमेटी द्वारा पहले तकनीकी निविदा के लिफाफे खोले जायेंगे। तकनीकी निविदा सफल होने वाले निविदादाता के ही वित्तीय निविदा के लिफाफे खोले जायेंगे।
13. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
14. तकनीकी निविदा लिफाफे में बोली प्रतिभूति रु. 8800/- का डीडी/ बी.सी. संलग्न करना है।
15. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रपत्र 'स' व 'द' प्रस्तुत करें।
16. विगत तीन वर्षों का अलग-अलग विभागों का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें (कम से कम दो अलग विभागों द्वारा हो)।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
Kumher Bharatpur

निविदा शर्तः-


1. यह दर संविदा अनुबंध पत्र निष्पादित करने से एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए जो कि 31.03.2026 तक मान्य है एवं आपसी सहमति से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. सीलबन्द लिफाफे में निम्नांकित संलग्न आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में वित्तीय निविदा खोली नहीं जायेगी।
 1. निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं. 1 ।
 2. धरोहर राशि (Bid Security) का बैंकर्स चेक / डी.डी. ।
 3. निविदादाता/ फर्म का फूड लाईसेन्स (FSSAI) से रजिस्टर्ड व जारी वैध पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।
 4. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति
 5. निविदा शर्तों पर हस्ताक्षर एवं मौहर सहित।
 6. पैन कार्ड की छायाप्रति ।
 7. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्न ओवर प्रमाण पत्र सी.ए. (UDN) से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें ।
 8. विगत तीन वर्षों का अलग-अलग विभागों का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें (कम से कम दो अलग विभागों का हो)।
 9. मुख्य लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में रखी जानी चाहिए।
3. निविदा के साथ दर्शित धरोहर राशि बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र जमा करवाते समय 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी एवं निविदा खुलने पर कुल राशि का बकाया तीन प्रतिशत 13200/- रुपये जमा करवानी होगी जिस पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज देय नहीं होगी।
4. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रू0 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व 3 प्रतिशत अमानत राशि 13200/-जमा करवानी होगी।
5. अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों / बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों / व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय-समय पर दी जाती रहेगी।
6. भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली (डबल रिफाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
7. सब्जी ऋतु के अनुसार अलग-अलग प्रकार की देनी होगी।
8. भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
10. भोजन/ चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदादाता की होगी।
11. भोजन व्यवस्था/ केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा एवं प्रशिक्षण में भोजन कराने के उपरांत भोजन स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
13. उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

14. निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती **GG & AR, TPPA 2012 एवं RTPPR 2013** के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/ फर्म की रहेगी।
15. दर्शित कार्य आपको निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में आपकी जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
16. ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
17. भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।
18. उपायन व पारदर्शिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।
19. सक्षम अधिकारी/ विभाग (FSSAI) द्वारा जारी फूड वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
20. कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग-अलग कार्यों के लिए पृथक-पृथक निविदादाता / फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।
21. सर्विस टैक्स / GST हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
22. ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/ फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार/ श्रमिक की होगी।
23. आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार/ फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।
24. किसी भी विवाद के निपटारे हेतु प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्र भरतपुर एकल आरबीटेटर होंगे व उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र भरतपुर होगा।
25. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को प्रेषित होनी चाहिए।
26. प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मैनु ध्यानपूर्वक पढ़ ले किसी भी प्रकार की कांट-छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
27. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
28. भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
29. भोजन संबंधी कोई भी आपूर्ति समय पर न होने की स्थिति में आपूर्ति कार्यालय द्वारा पूर्ण करा लिया जायेगा।
30. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
31. खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्म के पास खाद्यान्न सप्लाई लाईसेन्स एवं आयकर विभाग का पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
32. भोजन प्रशिक्षण स्थल पर मीनू के अनुसार ताजा बनाकर खिलाना होगा।
33. भोजन बनाने एवं खिलाने, सफाई आदि समस्त सामग्री एवं कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
34. भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
35. बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
36. लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा।
37. दो दिवसीय/ तीन दिवसीय/ पाँच दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग-अलग होगा।
38. ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
39. यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं दिया जायेगा।

40. भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
41. यह ठेका दिनांक 31.03.2026 तक ही मान्य होगा। जिसका कार्यादेश दिनांक 01.07.2025 को कमैटी द्वारा अनुमोदन उपरांत जारी होगा।
42. तकनीकी प्रपत्र में चाहे गये सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने पर ही उस फर्म / निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
43. भोजन केन्द्र के किसान घर में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी पार्टी निविदादाता को करनी होगी तथा प्लास्टिक कोकरी का भोजन सप्लाई में प्रयोग नहीं होगा।
44. सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
45. कोरोना महामारी (कोविड-19) के मध्येनजर, श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के साथ टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर एवं आवश्यक साधन/सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
46. कोरोना महामारी (कोविड-19) के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी होने वाली समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मैं उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए भोजन व चाय/नाश्ता की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता


Senior Scientist & Head
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Kumher Bharatpur

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No. F./OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352


Dated: 13.06.2025

विभिन्न प्रशिक्षणों में भोजन आपूर्ति हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

| क्र.सं. | आवश्यक दस्तावेजात का विवरण | संलग्न सूची क्रमांक |
|---------|---|---------------------|
| 1. | निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं. 1 । | |
| 2. | धरोहर राशि (Bid Security) का बैंकर्स चेक / डी.डी. 8800/- | |
| 3. | निविदादाता/ फर्म का फूड लाईसेन्स (FSSAI) से रजिस्टर्ड व जारी वैध पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें। | |
| 4. | जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति | |
| 5. | निविदा शर्तों पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित। | |
| 6. | पैन कार्ड की छायाप्रति । | |
| 7. | निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्न ओवर प्रमाण पत्र सी.ए. (UDN) से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें । | |
| 8. | विगत तीन वर्षों का अलग-अलग विभागों का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें (कम से कम दो अलग विभागों द्वारा तीन-तीन वर्ष का हो)। | |
| 9. | निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/- का डी.डी.संलग्न | |
| 10. | शर्तों पर सहमति पत्र रुपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प | |
| 11. | ब्लेक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र | |

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
 कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
 Kumer Biharpur

कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

प्रशिक्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मीनू

No. F. /OT/Store/KVK/KUMHER/2025/351-352

Dated: 13.06.2025

प्रशिक्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मीनू
(वित्तीय निविदा प्रपत्र वर्ष 2025-26 पृथक लिफाफे में रखें)

फर्म का नाम

सस्थागत व असस्थागत प्रशिक्षण /कार्यक्रमों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मीनू

| मीनू संख्या | कार्य का विवरण | अधिकतम दर | With GST Service Catring(Rate) |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|
| 1. | चाय + बिस्किट | 15/- रुपये | |
| 2. | नाश्ता - 1 समोसा / कचौड़ी + 1 केला | 20/- रुपये | |
| 3. | नाश्ता पैकेट - 1 समोसा / कचौड़ी + एक पीस मिठाई/लड्डू + दो केला + चाय | 30/- रुपये | |
| 4. | भोजन पैकेट- एक सूखी सब्जी (मिक्स)+पूड़ी-15 नग+मिक्स अचार + 2 पीस लड्डू/वर्फी | 60/- रुपये | |
| 5. | सस्थागत व असस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु (ICAR) | | |
| | सुबह 7:00 बजे - चाय + बिस्किट | | |
| | नष्ठा 9:00बजे - पोहा/पकोड़ी/कचोरी/समोसा/ ब्रेड पकोड़ा + दो लड्डू/वर्फी +दो केला+ चाय | 100/- रुपये | |
| | दोपहर खाना -15 पूड़ी/6 रोटी (देशी घी से चुपड़ी हुई) + सूखी सब्जी + तरल सब्जी(दाल/छोले) + चावल+रायता+ एक मिठाई + अचार + सलाद | | |
| | सांय 4:00 बजे - चाय + बिस्किट | | |
| | रात का भोजन - 15 पूड़ी/6 रोटी (देशी घी से चुपड़ी हुई) + दाल+ सूखी सब्जी + चावल+ सलाद+ एक पीस मिठाई (एक पीस मिठाई वर्फी/गुलाब जामुन बदलते कम में) | 50/- रुपये | |
| 6. | अप्रवासी प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रम हेतु | | |
| | नाश्ता -पोहा/पकोड़ी/कचोरी/समोसा/ब्रेड पकोड़ा+ लड्डू +चाय | | |
| | दोपहर खाना -15 पूड़ी/ 6 रोटी (देशी घी से चुपड़ी हुई) + सूखी सब्जी + तरल सब्जी/ दाल + चावल + रायता + एक मिठाई + अचार + सलाद | 75/- रुपये | |
| | सांय 4:00 बजे - चाय + बिस्किट | | |
| 7. | विभिन्न प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु | | |
| | सुबह - चाय + बिस्किट | | |
| | नाश्ता - पोहा/पकोड़ी/कचोरी/समोसा/ ब्रेड पकोड़ा + दो वर्फी + दो केला+ चाय | 200/- रुपये | |
| | दोपहर खाना - 15 पूड़ी/ 6 रोटी (देशी घी से चुपड़ी हुई) + सूखी सब्जी +तरल सब्जी (मौसमी) +दाल +छोला +मटर पनीर/पालक पनीर/साही पनीर+ पुलाव + रायता/छाछ + दो पीस मिठाई (वर्फी/गुलाब जामुन) + अचार + सलाद + पापड़ | | |
| | सांय- चाय + बिस्किट | | |
| | रात का भोजन - 15 पूड़ी/6 रोटी (देशी घी से चुपड़ी हुई) + तरल सब्जी (मौसमी) + दाल + सूखी सब्जी + चावल+ रायता + एक पीस मिठाई+ अचार + सलाद + पापड़ | 50/-रुपये | |
| 8. | अप्रवासी प्रायोजित प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रम (वीआईपी/ सर्टिफिकेट रिटेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम) हेतु | | |
| | सुबह 7:00 बजे - चाय + बिस्किट | | |
| | नाश्ता 9:00बजे - पोहा/पकोड़ी/कचोरी/समोसा/ ब्रेड पकोड़ा + दो लड्डू/वर्फी + दो केला+ चाय | 150/- रुपये | |
| | दोपहर खाना -15 पूड़ी/6 रोटी (देशी घी से चुपड़ी हुई) + सूखी सब्जी + तरल सब्जी(दाल) +छोले +मटर पनीर/शाही पनीर/पालक पनीर +पुलाव+रायता+ दो मिठाई (वर्फी/गुलाब जामुन) + अचार + सलाद+पापड़ | | |

नोट:- दरें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से देनी होगी। पानी एवं सफाई की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। समस्त मीनू में प्रति ईकाई चाय की मात्रा 100 मि.ली. एवं लड्डू/मिठाई पीस का वजन कम से कम 100 ग्राम अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

Naraini
Senior Scientist & Head
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Kumher Bharatpur

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स.....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की संलग्न है।

| कं. सं. | वित्तीय वर्ष | टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में) |
|---------|----------------------|------------------------------|
| 1. | 2021-22 | |
| 2. | 2022-23 | |
| 3. | 2023-24 | |
| | कुल टर्न ओवर | |
| | औसत वार्षिक टर्न ओवर | |


औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष
सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN-

.....

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं सील

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या



Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

.....

Place Date

Appellant's Signature

Navulsi
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Kumher Bharatpur